जालौन पुलिस

दिनांक –05.12.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण मे पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियो को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 01 अभियोग में 02 अभियुक्तों को मान0 न्यायालय द्वारा 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 13,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण – अभियुक्तगण **1.** नीरज पुत्र दौलत सिंह **2.** विजेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना पुत्र तिलक सिंह निवासीगण ग्राम महेशपुरा थाना नदीगांव जनपद जालौन द्वारा मारपीट गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना नदीगांव में मु0अ0सं0 94/1992 (वाद संख्या 129/2002) धारा 452/323/326/504/506(2) भादवि के तहत पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 05.12.2024 को मा0 न्यायालय जे.एम. कोंच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण **1.** नीरज पुत्र दौलत सिंह **2.** विजेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना पुत्र तिलक सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुये **03-03** वर्ष का कारावास व नीरज उपरोक्त को **7,000/-** रूपये व विजेन्द्र सिंह उपरोक्त को **6,000/-** रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।